प्रेषक,

उपनिदेशक,
राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद,उत्तर प्रदेश,
परिसर–राजकीय आई0टी0आई0, अलीगंज लखनऊ।

ई–मेल / आवश्यक

सेवा में,

1–समस्त संयुक्त निदेशक (प्रशि0 / शिक्षु0) उत्तर प्रदेश।
2–समस्त प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,उत्तर प्रदेश।
3–समस्त प्रधानाचार्य / प्रबन्धक, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान,उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 1839 / एस.सी.वी.टी / ई0टी0–004 / प्रवेशप्र0–2024 / नाम / मो0न0 / आई0डी0 / संशो0 / 1131 / 85

लखनऊः दिनांकः 07 अक्टूबर, 2024

विषयः प्रवेश सत्र अगस्त, 2024 हेतु प्रदेश में स्थित राजकीय / निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एन0सी0वी0टी0 / एस0सी0वी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु संचालित व्यवसायों क्रमशः कोर्स ग्रुप–ए एवं बी में हुए प्रवेश के समय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्मतिथि अपडेट करने में हुई आंशिक त्रुटि के संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या:1797 / एस.सी.वी.टी / ई0टी0–004 / प्रवेशप्र0–2024 / नाम / मो0न0 / आई0डी0 / संशो0 / 1131 / 85 दिनांक-01.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एस.सी.वी.टी. पोर्टल पर प्रवेश सत्र अगस्त, 2024 में प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों के नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्मतिथि अपडेट करने में हुई आंशिक त्रुटि के संशोधन के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें से जिन बच्चों का आधार प्रमाणीकरण नहीं हो सका था उन प्रशिक्षार्थियों के विवरण यथा नाम / पिता का नाम / माता का नाम / जन्म तिथि में संशोधन हेतु संस्थान लॉगिन पर व्यवस्था उपलब्ध करायी गयी थी। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि विभिन्न संस्थानों से संशोधन हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे प्रशिक्षार्थी जिनका आधार प्रमाणीकरण हो चुका है, परन्तु उन प्रशिक्षार्थियों के विवरण यथा पिता के नाम तथा माता के नाम में भिन्नता है, को संशोधित किये जाने की व्यवस्था एस.सी.वी.टी. पोर्टल पर लिंक के माध्यम से दिनांक-07.10.2024 से 09.10.2024 रात्रि 12.00 बजे तक तक उपलब्ध करायी जा रही है।

अतः समस्त सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका आधार प्रमाणीकरण हो चुका है, उन बच्चों के विवरण यथा पिता के नाम तथा माता के नाम में संशोधन हेतु सम्बन्धित प्रशिक्षार्थियों के प्रवेश फार्म को पोर्टल से डाउनलोड कर लें तथा दिनांक 07.10.2024 से 09.10.2024 के मध्य प्रशिक्षार्थियों के पिता का नाम तथा माता का नाम में साक्ष्य सहित आंशिक संशोधन हेतु प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध करा दे, तथा साक्ष्य सहित प्राप्त संशोधनों को सम्बन्धित संस्थान द्वारा दिनांक 07.10.2024 से 09.10.2024 (रात्रि 12.00 बजे) के मध्य ही पोर्टल पर उपलब्ध संशोधन व्यवस्थानुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, तथा साक्ष्य साथ में भी अपलोड करेंगे। प्रशिक्षार्थियों के नाम में पूर्ण परिवर्तन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। प्रशिक्षार्थियों के उपरोक्त प्रविष्टियों पर अपलोड किये गये साक्ष्यों के अनुसार संशोधन स्वीकार किये जाने का अंतिम अधिकार राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद का होगा। इस सम्बन्ध में प्रशिक्षार्थी या संस्थान कोई अधिकार पूर्वक माँग नहीं कर सकता है।

उक्त के साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि यदि ऐसे प्रशिक्षार्थी जिनका पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सफलता पूर्वक हो चुका है। प्रशिक्षार्थी के माता/पिता के नाम के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के संशोधन अपेक्षित है तो प्रशिक्षार्थी सुसंगत अभिलेखानुसार अपने आधारकार्ड में वांछित संशोधन अतिशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि

SIDH पोर्टल पर डाटा स्थानान्तरण उपरान्त ट्रेनी वेरिफिकेशन/पी.आर.एन. जनरेशन में कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। निर्धारित तिथि एवं समय सीमा के अर्न्तगत शत प्रतिशत सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित होगा।

भवदीय,

(मुन्द्रिका राम)
उपनिदेशक

पत्रांकः /एस.सी.वी.टी/ई0टी0:004/प्रवेश प्र0–2024/नाम/मो0न0/आई0डी0/संशो0/1131/85,तद्0

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0,लखनऊ को, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी निदेशक, एस0सी0वी0टी0,उ0प्र0, लखनऊ को, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रबन्धक (प्रणाली) यूपीडेस्को, गोमतीनगर लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0 अलीगंज लखनऊ।
5. प्रबन्धक मेसर्स ओमनीनेट टेक्नॉ0लि0,(वेण्डर यूपीडेस्को) लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रक्रिया हेतु एस.सी.वी.टी. पोर्टल पर व्यवस्था तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।
6. सिस्टम मैनै0 (आ0सो0) एवं श्री रमीज, प्रोग्रामर (आ0सो0), परिषद को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रक्रिया हेतु अपेक्षित कार्यवाही स-समय किया जाना सुनिश्चित करें।

(मुन्द्रिका राम)
उपनिदेशक

SIDH पोर्टल पर डाटा स्थानान्तरण उपरान्त ट्रेनी वेरिफिकेशन/पी.आर.एन. जनरेशन में कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। निर्धारित तिथि एवं समय सीमा के अर्न्तगत शत प्रतिशत सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित होगा।

भवदीय,

(मुन्द्रिका राम)
उपनिदेशक

पत्रांकः 1839 /एस.सी.वी.टी/ई0टी0:004/प्रवेश प्र0–2024/नाम/मो0न0/आई0डी0/संशो0/1131/85,तद्0

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0,लखनऊ को, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी निदेशक, एस0सी0वी0टी0,उ0प्र0, लखनऊ को, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रबन्धक (प्रणाली) यूपीडेस्को, गोमतीनगर लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0 अलीगंज लखनऊ।
5. प्रबन्धक मेसर्स ओमनीनेट टेक्नॉ0लि0,(वेण्डर यूपीडेस्को) लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रक्रिया हेतु एस.सी.वी.टी. पोर्टल पर व्यवस्था तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।
6. सिस्टम मैनै0 (आ0सो0) एवं श्री रमीज, प्रोग्रामर (आ0सो0), परिषद को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रक्रिया हेतु अपेक्षित कार्यवाही स-समय किया जाना सुनिश्चित करें।

(मुन्द्रिका राम)
उपनिदेशक

SIDH पोर्टल पर डाटा स्थानान्तरण उपरान्त ट्रेनी वेरिफिकेशन/पी.आर.एन. जनरेशन में कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। निर्धारित तिथि एवं समय सीमा के अर्न्तगत शत प्रतिशत सम्बन्धित अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित होगा।

भवदीय,

(मुन्द्रिका राम)
उपनिदेशक

पत्रांकः 1839 /एस.सी.वी.टी/ई0टी0:004/प्रवेश प्र0–2024/नाम/मो0न0/आई0डी0/संशो0/1131/85,तद्0

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0,लखनऊ को, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी निदेशक, एस0सी0वी0टी0,उ0प्र0, लखनऊ को, महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. प्रबन्धक (प्रणाली) यूपीडेस्को, गोमतीनगर लखनऊ।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0 अलीगंज लखनऊ।
5. प्रबन्धक मेसर्स ओमनीनेट टेक्नॉ0लि0,(वेण्डर यूपीडेस्को) लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त प्रक्रिया हेतु एस.सी.वी.टी. पोर्टल पर व्यवस्था तत्काल किया जाना सुनिश्चित करें।
6. सिस्टम मैनै0 (आ0सो0) एवं श्री रमीज, प्रोग्रामर (आ0सो0), परिषद को इस निर्देश के साथ कि उक्त प्रक्रिया हेतु अपेक्षित कार्यवाही स-समय किया जाना सुनिश्चित करें।

(मुन्द्रिका राम)
उपनिदेशक